गंगमूल ड़ेयरी

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि
इण्डस्ट्रीयिल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

क्रमांक / गंगमूलःसयंत्रं / एफ() :2025 /823-28 दिनांकः–25.04.2025

ई–निविदा सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में दूध, छाछ, लस्सी एंव दही पैकिंग, स्टेकिंग, लीकेज सोरटींग, क्रेट वॉशिंग, दही इन्क्यूबेशन एंव उत्पाद डिस्पेच जोब बेसिस कार्य के सम्पादन हेतु एक वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते है। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाइट www.sriganganagarmilkunion.com पर देखी जा सकती है।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि–

1. संपादक दैनिक .... को भेजकर लेख है कि आप उक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक बार संघ के लोगों सहित प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को–आपरेटिव डेयरी फेडेरेशन लि0, जयपुर।
3. प्रभारी (संयंत्र / गुणनियंत्रण / लेखा)
4. अतिरिक्त निजी सचिव।
5. प्रभारी एमआईएस – कृपया संघ की वेबसाइट व http://eproc.rajasthan.gov.in
6. नोटिस बोर्ड।

प्रबंध संचालक

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of abo

E-TENDER DOCUMENT

FOR

TENDER FOR JOB BASIS WORK MILK, CHHACH, LASSI & DAHI PACKING, STACKING, LEAKAGE SORTING, CRATE WASHING, DAHI INCUBATION AND DISPATCH

TENDER ID No.:

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735, 260522 Fax no.- 01552-262847
Emai Id – gngmu-rj@nic.in, gangmul.production@gmail.com

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

गंगमूल ड़ेयरी

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि
इण्डस्ट्रीयिल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

क्रमांक / गंगमूलःसयंत्रं / एफ() :2025 / 829-32 दिनांकः–25.04.2025

ई–निविदा–सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में दूध, छाछ, लस्सी एंव दही पैकिंग, स्टेकिंग, लीकेज सोरटींग, क्रेट वॉशिंग, दही इन्क्यूबेशन एंव उत्पाद डिस्पेच जोब बेसिस कार्य के सम्पादन हेतु एक वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म निविदि प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार डाउन लोड कर दिनांक 26.04.2025 सांय 5.00 पी.एम. से दिनांक 07.05.2025 सांय 6.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते है। निविदा प्रपत्र का प्रथम भाग दिनांक 08.05.2025 कों दोपहर 03.00 पीएम संघ कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निर्देशानुसार अमानत राशि (रू. 150000 / – श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में) / निविदा मूल्य (रू. 1,180 / – श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में) तथा निविदा प्रोसेसिंग फीस (रू. 1,500 / – **MD, RISL, Jaipur** के नाम डीडी के रूप में) संघ संयंत्र कार्यालय में जमा करवाना होगी अन्यथा जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र दो भागो में है। जो निविदादाता प्रथम भाग में सफल रहेगा, उन्ही निविदादाताओ द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के द्वितीय भाग को खोलने की दिनांक घोषित की जावेगी। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक महोद्य, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपि–

1. प्रबन्धक प्रणाली, राजस्थान को–आपरेटिव डेयरी फेडेरेशन लि0, जयपुर।
2. प्रभारी (संयंत्र / अभि0 / गुणनियंत्रण / लेखा / विपणन)
3. अतिरिक्त निजी सचिव।
4. प्रभारी एमआईएएस – कृपया संघ की वेबसाइट व http://eproc.rajasthan.gov.in & https://sppp.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करवायें।

प्रबंध संचालक

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847
E-mail : rcdfgng_jp1@bsnl.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1.The bidders who are interested in bidding can download tender documents from http:eproc.rajasthan.gov.in

2.Bidders who wish to participate in this tender will have to register on http:eproc.rajasthan.gov.in, To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate. Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, CScheme, Jaipur

3.Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.

4.Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.

5.The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.

6.If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.
Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232
"Toll free, 24X7 E-mail- eproc@rajasthan.gov.in

7.Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box,

8.Please read carefully the steps of submitting Tender online.

9.Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads"

Important Date and Time

S.No.	Particulars	Date/Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	26.04.2025 at 05:00 PM
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	26.04.2025 at 05:00 PM
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	07.05.2025 at 06:00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
I	EMD (Rs. 100,000/-) by DD / Banker cheque / pay order in the name of SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh	08.05.2025 at 02:30 PM At GANGMUL, HMH
II	Tender form fee Rs. 1,180/- by DD / Banker cheque / pay order in the name of SGNR ZDUSSLtd., Hanumangarh	08.05.2025 at 02:30 PM At GANGMUL, HMH
III	E-tender processing fee Rs. 1,500/- by DD / Banker cheque / pay order in the name of MD, RISL., Jaipur	08.05.2025 at 02:30 PM At GANGMUL, HMH
IV	Affidavit of Annexure II on stamp paper Rs 100(Original copy)	08.05.2025 at 02:30 PM At GANGMUL, HMH
5	Date & time of opening of technical-bid	08.05.2025 at 03:00 PM
6	Date and time of opening of financial bid	To be informed later

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.,
Industrial Area, Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847
E-mail : rcdfgng_jp1@bsnl.in

INDEX

S.No.	Particulars	PAGE NO.
1.	NIT	02-03
2.	Instructions for submission of e-tender form & documents	04
3.	Important date & time	04
4.	Index	05
5.	Statutory requirement	06-07
6.	Check list of documents to be submitted	8
7.	General terms & conditions	09-12
8.	Special Conditions	13-15
9.	ANNUXRE I & II	16-17

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

SriGanganagar Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Industrial Area,Hanumangarh Junction-335512
Tele No. 01552-260735,260522 Fax no.- 01552-262847

Part 1
Technical Bid

Tender Form

SUBJECT: - MILK PACKING, CHHACH, LASSI & DAHI PACKING, STACKING, LEAKAGE SORTING, CRATE WASHING, DAHI INCUBATION AND DISPATCH

TENDER PROCESSING FEES:- Rs. 1500/-(One Thousand Fifty Hundred Only) by DD /B.C./ pay order in the name of MD, RISL, JAIPUR

TENDER FORM FEES:- Rs. 1180/-(One Thousand One Hundred Eighty Only with GST)

EMD:- Rs. 150000/-(One Lakh Fifty Thousand Only) by DD/Pay Order in the name of MD, SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh

1. Name & Full Address of the Firm
   Submitting the tender (In Block Letters)
   :____________________________________
   ____
   ____

   Passport size photograph

   Landline Phone No. __________________

   Mobile No.____________________

   Fax no. ___________________________Email Id:____________________
2. Name & Address of Authorized Contact Person:__________________________
   Mobile No. of Authorized Contact Person :__________________________
   E-Mail of Authorized Contact Person :__________________________
3. Addressed to : The Managing Director,
   Sriganganagar ZDUSS Ltd.,
   Industrial Area,
   Hanumangarh Junction
4. PAN No. (photocopy enclose) :__________________________
5. GST No. (photocopy enclose) :__________________________
6. Aadhaar card no. (photocopy enclose) :__________________________
7. PF No. (photocopy enclose) :__________________________
8. ESI No. (photocopy enclose) :__________________________

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

9. Experience Certificate: :____________________________
   (02 Years similar work)
10. RTGS/NEFT Details:
    a.) Beneficiary Bank Name & Address :____________________________
    b.) Beneficiary Bank IFSC Code :____________________________
    Party Name & Address :____________________________
    c.) Party Bank A/C No. :____________________________

11. Name and Address of owner/Partner/Directors :____________________________
    (Designation and status in the firm) along :____________________________
    With Email-Id, Address proof, ID proof)
12. A self attested photocopy of power of attorney issued by Owner/All partners/Directors in favour of nominated person to sign and execute the tender/contract.
13. I/We agree to abide by all the terms & conditions mentioned in the Tender Notice issued by the Managing Director, SZDUSS Ltd. Hanumangarh and the other conditions annexed with the tender form, all the pages of Which have been signed by me/us in token of my/our Acceptance of the terms & conditions mentioned Therein.
14. Details of fee deposited offline in physical form in the office of Managing Director

	Amount	DD No.	Date
a. Tender form fee	Rs. 1180/-	________	__________
b. EMD	Rs. 150000/-	________	__________
c. Tender Processing Fee	Rs 1500/-	________	__________

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

POINTS TO BE CONSIDERED FOR TECHNICAL QUALIFICATION:

1) Draft of EMD & Tender fee MUST be submitted in time without which tender form will not be accepted.
2) Tenderers having any case pending against Sriganganagar Milk Union or its officers/ employees (pertaining to working of Dairy) will not be accepted.
3) Tenderers having any case against them by Sriganganagar Milk Union shall be rejected
4) Tenderers who are presently or in past under contract with Sriganganagar Milk Union or any other milk union and have been caught / punished in any theft case shall not be able to participate in this tender
5) Tenderers who have been blacklisted/ termination of agreement in past by GANGMUL or any other RCDF milk union shall not be considered for this tender
6) Tenderers having any financial dealing with any of the employees of milk union as on date of submission of tender shall not be considered
7) Tenders of any of the officer/ employee/ board member or their blood relatives (as per Hindu family act) will not be accepted.
8) Tenders of any insolvent/ adolescent/ mentally retarded firm/ person shall will not be accepted. Tenders of any person/ firm already working with union through agreement will not be accepted.
9) Tenderes who have security guard/Man power supply contract in Gangmul not participate in this tender.

A check list of documents required to be submitted

(Each Tenderer is required to attached copies of following documents failing which the tender will become liable for no further consideration/evaluation)

Sr. No	Particulars	Cover
1.	Duly filled tender form with signature on each page/copy	Cover-A
2.	Copy of PAN Card, PF No., ESI No. & AADHAAR Card No.	Cover-A
3.	Copy of GST No.	Cover-A
4.	Documents of authorized contact person / firm (as per above point Number 1, 2 & 11)	Cover-A
5.	DD/payoder/banker cheque of tender document fee / EMD	Cover –A
6.	Experience certificates 2 Years Minimum	Cover –A
7.	RTGS/NEFT Details	Cover –A
8.	All other documents as required as per tender condition	Cover –A
9.	BOQ	Cover -B

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन (राज0)
फोन नं0 01552-(F)260735, (O)260588,260522 फैक्स नं. 01552-262847

निविदा भरने एवं अनुबन्ध हेतु सामान्य निर्देश एवं शर्तें
(दूध, छाछ, लस्सी एंव दही पैकिंग, स्टेकिंग, लीकेज सोरटींग, क्रेट वॉशिंग, दही इन्क्यूबेशन एंव उत्पाद डिस्पेच जोब बेसिस कार्य)

1. ई–निविदि प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार डाउन लोड के पश्चात् निविदादाता उक्त प्रपत्र में वर्णित समस्त ई–निविदा की निर्देशों, शर्तों, प्रतिबन्धों एवं अनुबन्ध प्रफोर्मा का पूर्ण अध्ययन कर लें एंव सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर करते हुए अपलोड करें।
2. ई–निविदा प्रपत्र दो भागों में विभाजित है। ई–निविदा का प्रथम भाग तकनीकी (भाग–अ) तथा ई–निविदा का दूसरा भाग वित्तीय (भाग–ब) है। दोनों भागों को पूर्ण रूप से भरकर, वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करेगा।
3. निविदादाता द्वारा ई–निविदा के भाग–''अ'' में अमानत राशि रूपये 150,000 (अखरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम से संलग्न करें। अमानत राशि के अभाव में ई–निविदा निरस्त मानी जावेगी। ई–निविदा प्रपत्र में निविदादाता को अपना पूरा नाम, पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर लिखना होगा।
4. निविदादाता को ई–निविदा में अपनी दरें निर्धारित BOQ में अपलोड करनी होगी। दूध/छाछ/लस्सी एवं दही पैकिंग के लिए दर अलग–अलग प्रतिलीटर/किग्रा देनी होगी। दोनो कार्य एक ही निविदादाता को दिए जायेगें, न्यूनतम दर निर्धारण हेतु दूध पैकिंग को 88 प्रतिशत एवं दही पैकिंग के लिए 12 प्रतिशत मूल्यांकन मानते हुए जिसकी दर कम आएगी, उसे न्यूनतम दर वाला निविदादाता माना जायेगा एवं भुगतान उनकी दूध/छाछ/लस्सी एवं दही की अलग–अलग स्वीकृत दर एवं संघ की विक्रय मात्रा अनुसार ही किया जायेगा।
5. अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिये होगी । अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर किसी कारणवश निविदा में विलम्ब होता है तो RTPP Act अनुसार 50 प्रतिशत तक समयावधि अथवा नई निविदा होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकेगी जो की ठेकेदार को मान्य होगी।
6. किसी भी निविदादाता द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र के बिना दी गयी निविदा दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही, निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित निविदा शर्तों के अनुरूप ही देनी होगी। यदि निविदादाता अपनी ओर से कोई शर्तें जोड़ता है तो वह मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाता के पास स्वयं के नाम का पी0 एफ0 कोड पंजीयन, ई0 एस0 आई0 कोड पंजीयन, जीएसटी, पैन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है, इनके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इनकी छायाप्रतियाँ निविदा के पार्ट ''अ'' में संलग्न करनी होगी। इनके अभाव में निविदा का पार्ट ''ब'' नहीं खोला जावेगा।
8. निविदादाता को कम से कम 02 वर्षो का किसी सहकारी दुग्ध संघ/प्राईवेट डेयरी में 50000 लीटर/किलोग्राम प्रतिदिनं दूध पैकिंग करवाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नही होगी।
9. निविदादाता का श्रीगंगानगर मिल्क संघ में सुरक्षा गार्ड एवं मैन पॉवर का अनुबन्ध नही चल रहा हो, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
10. निविदादाता द्वारा 100 रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के पार्ट ''अ'' में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा का पार्ट ''ब'' नहीं खोला जावेगा। यदि अनुबन्धकर्ता के बारे में यह पाया जाता है कि किसी भी संघ अथवा राजकीय कार्यालय में पूर्व में अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नही कर पाया हो, सिक्योरिटी राशि जब्त की गयी हो और उसका अनुबन्ध निरस्त किया गया हो, तो ऐसे निविदादाता की निविदा मान्य नही होगी।
11. निविदादाता को गत दो वर्षो की इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।
12. प्रबन्ध संचालक उक्त अनुबन्ध को संघ हित में बिना कारण बताये 15 दिवस के नोटिस पर समाप्त कर सकते है एवं प्रबन्ध संचालक को संघ हित में वर्तमान अनुबन्ध की किसी भी शर्त को विलोपित करने, शर्तों में छूट देने एवं ठेकेदार की सहमति से शर्तों में परिवर्तन करने अथवा नई शर्त लागू करने का अधिकार होगा।
13. समस्त ठेका सम्बन्धित कार्य कॉन्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबोलेशन अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पूर्णतया अस्थाई व आवश्यक कार्य निष्पादित हेतु है जिनको किसी भी समय कम ज्यादा एवं समाप्त घोषित किया जा सकता हैं ।

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

14. ठेकेदार को श्रमिक कार्य पर लगाने से पूर्व संघ प्रबन्धन अथवा उनके द्वारा किसी भी मनोनीत अथवा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करना होगा व संघ प्रबन्धन द्वारा इन्हें लगाने की स्वीकृति देने पर ही कार्य पर लगाना होगा। ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि:–

(अ) कोई भी श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु का ना हो। बाल श्रमिक (निषेध व नियमन) अधिनियम, 1986 के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना का उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का रहेगा।

(ब) कोई भी श्रमिक किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं हो।

(स) अगर ठेके की अवधि के बीच में संघ प्रबन्धन किसी श्रमिक को किन्ही कारणों से हटाने का निर्देश ठेकेदार को देता हे तो उक्त श्रमिक को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा।

15. यदि किसी निविदादाता का कान्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड ऐबोलेशन अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीयन नहीं है तो उसे प्रथम बिल भुगतान से पूर्व उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन का प्रमाण–पत्र संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात ही भुगतान देय होगा।

16. ठेकेदार को कितने मजदूर उक्त कार्य पर लगाने है उनकी संख्या व समय संघ प्रबन्धन द्वारा समय–समय पर कार्य के अनुसार निर्धारित की जावेगी कुछ श्रमिक संघ के निर्देशानुसार कुछ घण्टो के अनुसार भी लगाये जा सकते है।

17. ठेकेदार को समस्त श्रमिक व फैक्ट्री के नियमों का पालन करना होगा अगर कभी यह पाया गया कि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया गया है तो संघ द्वारा समूचित शास्ति ठेकेदार पर लगाई जावेगी व ठेका निरस्त भी किया जा सकता है।

18. ठेकेदार को प्रत्येक माह के बिल का भुगतान स्वय के वित्तीय साधन से करना होगा। उस माह के बिल के साथ पी0एफ0, ई0एस0आई0 व सर्विस टैक्स के जमा होने के चालान की सत्य प्रतिलिपि देने पर बिल का भुगतान किया जावेगा। पी0एफ0 चालान के साथ 10/– के रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त पैसा संघ में दूध, छाछ, लस्सी एंव दही पैकिंग, स्टेकिंग, लीकेज सोरटींग, क्रेट वॉशिंग, दही इन्क्यूबेशन एंव उत्पाद डिस्पेच जोब बेसिस कार्य में लगे श्रमिकों के पी0एफ0 हेतु जमा करवाया गया है। ठेकेदार को अपने श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर न्युनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी का भुगतान प्रत्येक माह कि 7 तारीख तक करना होगा। संघ से बिलों का भुगतान होना या न होना इस हेतु कोई कारण नहीं माना जावेगा। संघ प्रबन्धन को यह अधिकार हे कि इस सम्बन्ध में वे ठेकेदार के रिकार्ड का निरीक्षण समय –समय पर कर सकते है व उल्लंघन पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकता है तथा निश्चित तिथि तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन 500/– रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

19. ठेकेदार को समय–समय पर संघ द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। पैकिंग सेक्शन की हाइजेनिक साफ सफाई प्रतिदिन करनी होगी एवं साफ सफाई का ध्यान रखना होगा व उक्त कार्य के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगाना होगा।

20. ठेकेदार द्वारा संघ के निर्देशानुसार समय पर कार्य संपादित नही किए जाने की स्थिति में यदि संघ वैकल्पिक व्यवस्था करता है तो लागत वसूल व शास्ति लगाई जायेगी एवं ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

21. ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत सदस्य बनाकर सम्बन्धित कार्यालय में रिकार्ड प्रस्तुत करना, प्रतिमाह उनका अंशदान काट कर जमा करना निर्धारित समय पर ईएसआई एवं पीएफ के रिटर्न दाखिल करना, समय समय पर विभागीय निरीक्षक द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण करवाना तथा ठेकेदार को अपने स्तर पर उक्त अधिनियमों से सम्बन्धित लेखा जोखा एवं रिकार्ड का संधारण करना पडेगा। प्रतिमाह निर्धारित समय पर भविष्य निधि एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारी एवं नियोजक दोनों अंशदान जमा कराने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
संघ प्रबन्धन को समय–समय पर ठेकेदार के ईएसआई एवं पीएफ के रिकार्ड निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा ईएसआई एव पीएफ अधिनियमों में संशोधन होने एवं अंशदान में कमी एवं बढोत्तरी की अवस्था में समस्त जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। अगर पीएफ एवं ईएसआई विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर संघ पर कोई शास्ती लगाई जाती है तो उसका भुगतान करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भी अगर उक्त अधिनियमों एवं श्रम कानूनों के अन्तर्गत संघ को किसी प्रकार की शास्ती राशि ठेकेदार के नामित करानी पडती है तो संघ उसको ठेकेदार से वसूल करने का अधिकारी होगा। इस प्रकार की एक अण्डरटैकिंग 100/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित में नोटेरी से सत्यापित करा कर देनी होगी।

22. यह ठेका स्वीकृत निविदादाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

23. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को संघ के साथ निर्धारित शुल्क 1000/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा तथा नोटेरी से सत्यापित करा कर देना होगा।

24. निविदा के समय अमानत राशि रू0 150,000/– (अखरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) जमा करानी होगी ठेका स्वीकृत होने पर धरोहर राशि रू0 250,000/– (अखरे दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ जंक्शन के नाम से जमा कराना होगा तथा अमानत राशि को धरोहर राशि में शामिल कर लिया जावेगा कुल रूपये 400,000(अखरे चार लाख रूपये मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा रहेंगे तथा

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक से रूपये 3,00,000.00(अखरे तीन लाख रूपये मात्र) की बैक गारन्टी/एफ.डी. 24 माह की जमा करानी होगी। जो ठेके की अवधि पूर्ण होने पर संघ के समस्त विभागाध्यक्षो से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने एंव पी एफ जमा सम्बन्धित पासबुक व ईएसआई रिटर्न प्रस्तुत करने के उपरान्त ठेकेदार को लोटायी जावेगीं इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

25. ठेकेदार व उसके श्रमिकों की लापरवाही से संघ की किसी भी सम्पत्ति का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिये संघ प्रबन्धन को नुकसान की राशि ठेकेदार के बिल, सिक्युरिटी या अन्य किसी भुगतान से काटने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों द्वारा किसी वस्तु की चोरी या दूध/ दुग्ध पदार्थे खाते/पीते हुए पकडे जाने पर चोरी करके ले जा रही वस्तु/खाते पीते पकडी गई वस्तु की कीमत *की 20 गुना राशि* तक की शास्ति ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी एवं उक्त अपराध में पकडे गये व्यक्ति को ठेकेदार डेयरी में नियोजित नहीं करेगा।

26. प्रबन्ध संचालक के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

27. ठेकेदार व उसके श्रमिकों को संघ के नियमों का पालन करना होगा। ठेके अवधि के बीच में अगर ठेकेदार का कार्य असंतोषजनक पाया गया या यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा संघ के किसी नियम/उपनियम ईएसआई विभाग के किसी नियम/उपनियम तथा पीएफ विभाग के किसी नियम/उपनियम या श्रम विभाग के किसी नियम/उपनियम का उल्लंघन किया गया तो ठेका अवधि के बीच में समाप्त करने का संघ प्रबन्धन को पूर्ण अधिकार होगा।

28. ठेकेदार द्वारा मासिक रूप से बिल प्रस्तुत किये जायेंगें, जिनका भुगतान संघ द्वारा बैंक खाते में कर दिया जावेगा ।

29. राज्य/केन्द्र सरकार द्धारा न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन होने की दशा में संघ संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत दिनांक से बढ़ी हुई न्युनतम मजदुरी दर के अनुपात में जोबवर्क दर के 80 प्रतिशत को मजदुरी मानते हुए दर संशोधित की जा सकेगी। उदाहरण स्वरूपः– वर्तमान में न्युनतम मजदुरी दर रूपये 285/– प्रतिदिन है एंव निविदा में स्वीकृत दर 10 पैसे प्रतिलीटर होने पर न्युनतम मजदुरी 285 से बढ़ाकर 300 रूपये होने की दशा में निम्नानुसार दर संशोधित की जायेगी। (वर्तमान में न्युनतम मजदुरी दर रूपये 285 प्रतिदिन है)
मजदुरी दर – 10×80% = 08 पैसे
जोबवर्क की संशोधित दर प्रतिलीटर – (8×300/285)+2 = 8.42+2 = 10.42 पैसे प्रतिलीटर

30. ठेकेदार द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रमिको को करना आवश्यक होगा।

31. ठेकेदार को अगले दिन के कार्य के लिये प्रथम दिवस सुनिश्चित करना होगा कि किस संख्या में उसे श्रमिक किस समय व किस कार्य स्थल पर बुलवाने है।

32. ठेकेदार को इन शर्तो के साथ लगी हुई कार्य सम्बन्धी शर्ते व नियमों के अनुसार कार्य करना होगा।

33. ठेकेदार को अपने श्रमिकों पर स्वयं नियंत्रण रखना होगा व अपने श्रमिकों से स्वयं उन्हें मार्गदर्शन देकर कार्य को कराना होगा। ठेकेदार के द्वारा नियोजित श्रमिकों पर डेयरी प्रबन्ध का कोई सीधा नियंत्रण व मार्गदर्शन नहीं रहेगा। अनुबन्धित कार्य को ठेकेदार द्वारा स्वयं के दिशा निर्देशन में व नियंत्रण में अपने श्रमिकों से सुचारू रूप से निर्धारित समय व संघ द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार पूर्ण कराने का दायित्व होगा।

34. ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को संघ परिसीमा में प्रवेश हेतु उनकी पहचान के लिये संघ प्रबन्धन की अनुमति से बेज/पहचानपत्र प्रदान करने होगे ।

35. कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नही होगी।

36. ठेकेदार को श्रमिकों की उपस्थिति एवं मजदूरी भुगतान रजिस्टर/स्टेटमेन्ट तीन प्रतियों में तैयार करना होगा तथा मजदूरी रजिस्टर/स्टेटमेन्ट को नियोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधी द्वारा प्रमाणित करना होगा। मजदूरी रजिस्टर के अनुसार ही श्रमिकों की संख्या तथा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कटोती राशि तथा उस पर नियोक्ता का अंशदान सहित सम्बन्धित विभाग को समय पर जमा करवाना आवश्यक होगा। मजदूरी रजिस्टर एवं चालानों की हस्ताक्षरित प्रतियों के अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

37. ठेकेदार मजदूरी रजिस्टर/स्टेटमेन्ट की प्रथम प्रति को उसी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगा, द्वितीय प्रति को भविष्य निधि कार्यालय भेजेगा एवं तृतीय प्रति को स्वयं के रिकार्ड में रखेगा।

38. ठेकेदार श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन अथवा राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, जयपुर का कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल सदस्य या उनके कुटुम्ब(रक्त संबंधी) का नहीं होना चाहिए। अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है।

39. ठेकेदार के बिल से वांछित नियमानुसार आयकर एवं अन्य वैधानिक कटौतियां की जावेगी ।

(Signed & sealed by the tenderer in token of acceptance of above)

40. लेबर द्वारा कार्य स्थल पर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू एवं एल्कोहलिक पेय इत्यादि का सेवन वर्जित है । ऐसा करते पाये जाने पर शास्ति लगायी जा सकती है। सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच आई0एस0ओ0 22000: एंव हैसैप के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक छः माह में एक बार करवाने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी ।

41. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को संघ के सभी विभागों से नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा कराना होगा।

42. वर्तमान पैकिग कार्य किस प्रकार से चल रहा है यह निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी सयंत्र की अनुमति से पैकिग शाखा में आकर देख सकता है।

43. संघ में रूपये 100/- जमा करवाकर संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा।

44. आवेदक को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा।

45. उक्त समस्त शर्तें, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा रहेगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तें ठेकेदार पर लागू रहेंगी।

मैंने उपरोक्त शर्ते पढ व समझ ली है । मैं उपरोक्त शर्तो का पालन करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता ....
व पूर्ण पता ....
....

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
इण्डस्ट्रीयल एरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन (राज0)
फोन नं0 01552-(F)260735, (O)260588, 260522 फैक्स नं. 01552-262847

कार्य संबंधी शर्ते(दूध, छाछ, लस्सी एंव दही पैकिंग, स्टेकिंग, लीकेज सोरटींग, क्रेट वॉशिंग, दही इन्क्यूबेशन एंव उत्पाद डिस्पेच जोब बेसिस कार्य)

01. निविदा के अन्तर्गत घोषित दुग्ध/छाछ/लस्सी/दही पैकिंग का कार्य पूर्णतया अस्थाई श्रम ठेका अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिक कार्य है ।

02. निविदा के अंतर्गत नियोजित ठेकेदार के श्रमिकों पर ठेकेदार का ही नियंत्रण व निर्देशन होगा तथा श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़ जंक्शन का किसी भी प्रकार से ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के नियोजक एवं श्रमिक से संबंध नहीं होगा न ही किसी श्रमिक एवं ठेकेदार के बीच उत्पन्न औधोगिक विवाद हेतु संघ किसी प्रकार से उत्तरदायी होगा ।

03. भविष्य में मांग व आपूर्ति स्थिति के मद्देनजर कम या अधिक हो सकेगी। ठेकेदार को पाउच पैकिग के साथ मांग के हिसाब से लूज कैनो मे भी दूध भर कर डिस्पैच करना होगा। जिसका भुगतान प्रतिलीटर दूध विक्रय की लीटर मात्रा की दर से ही किया जावेगा। वर्तमान में 4 तरह का दूध पैक किया जा रहा है। जिसकी पैकिंग 180/190/350/400/500/1000 एवं 6000 एमएल में पैक किया जा रहा है तथा छाछ/लस्सी 200/250/400 एवं 500 एमएल में पैक की जा रही है। दही कप 100/125/200 एवं 350 ग्रम व दही पाउच 150/400/1000 एमएल व दही मटका 5 किग्रा एवं 15 किग्रा पैक किया जा रहा है। दही पैकिंग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भविष्य में किसी भी नये माप की पैकिंग शुरू की जा सकती है।

04. ठेकेदार को दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग का भुगतान उसके हक में स्वीकृत निविदा की दर के अनुरूप प्रति लीटर/किलोग्राम(पैकिंग अनुसार) दूध,छाछ,दही व लस्सी विक्रय की मात्रा का किया जावेगा ।

05. दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग के कार्य हेतु पैकिंग मेटीरियल का स्टोर से पैकिंग स्टेशन/प्रीपैक सैक्शन तक लाना, पैकिंग मेटीरियल को व्यवस्थित रूप से स्टेशन में रखना/ पैकिंग मशीन पर फिल्म रोल को लगाना, पैक हुए दूध की थैलियों/दही कपो को मशीनों पर से प्लास्टिक केटस में 10/12 लीटर जैसी भी आवश्यकता हो उसके अनुरूप जमाकर गिनने योग्य तरीके से प्रति केट में भरना, इन भरी हुई केटस को कोल्ड स्टोर/इन्क्यूबेशन रूम में स्थित रोलर कनवेयर से उतारना व इन भरी हुई केटों को कोल्ड स्टोर में एक के उपर एक केट रखकर समय-समय पर निर्देशित स्थान व संख्या की ढांग लगाना ठेकेदार का कार्य होगा। दोनों पारियों में संघ के अधिकारियों के निर्देशानसार व समयानुसार गेट पास में अंकित मात्रा के अनुसार दूध, छाछ, लस्सी, पनीर एवं दही इत्यादि दुग्ध वाहनों में लोड करवाने होंगे। दुग्ध/छाछ/लस्सी/पनीर एवं दही इत्यादि डिस्पैच कार्य में देरी होने पर संघ द्वारा शास्ति लगाई जा सकती है।

06. पैकिंग हेतु दुग्ध टैंकों से पैकिंग की लाइनों को जोडना/टैकों की लाइनों को बदलना, दूध साइलो से ओएचटी में चिलर के माध्यम से डालना व पैकिंग स्टेशन तथा कोल्ड स्टोर एंव इन्क्युबेशन रूम की नित्य सफाई जो कि मानक स्तर की होना आवश्यक है, को निर्धारित मापदंडों व निर्धारित विधि एवं प्रकिया के अनुरूप करने का कार्य ठेकेदार का होगा।

07. संघ द्वारा सरस के विभिन्न प्रकार के दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग वेरियंट(variant) में पैक किया जाता है जिसकी पृथक-पृथक मात्रा प्रतिदिन ठेकेदार/प्रतिनिधि को मांग के अनुसार अवगत करवा दी जावेगी तथा दुग्ध की किस्म भी पृथक-पृथक, एफसीएम, टोन्ड, डबल टोन्ड, स्किम मिल्क, स्टेन्डर्ड मिल्क आदि की पृथक-पृथक डिमाण्ड के अनुरूप पैकिंग की जावेगी सभी किस्मों के लिए पृथक-पृथक डिमाण्ड के अनुरूप पैकिंग की जावे। मांग के अनुरूप विभिन्न किस्मों का दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग निर्धारित मात्रा/जो कि प्रतिदिन परिवर्तनशील होती है में ही पैक करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा दूसरी किस्म का दूध किसी दूसरी प्रकार के पैकिंग मेटीरियल में पैक कर दिया गया या निर्धारित मात्रा से कम या ज्यादा मात्रा में पैक किया गया तो ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जावेगी। जिसमें पैकिंग मेटीरियल की हानि दुग्ध की हानि की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी। तथा अतिरिक्त शास्ति भी लगाई जा सकती है।

08. लीकेज पाउच/कप/मटका/टुटे हुए गत्ते इत्यादि से दूध, दही निकलाकर पोलीथीन/प्लास्टिक स्क्रेप, यार्ड में निर्धारित स्थान पर अलग-अलग छांटकर रखवाने होगें व प्रत्येक दिन इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिक लगाने होगे अन्यथा रूपये 2000 प्रतिदिन तक की शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

09. दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग का कार्य डिमाण्ड के अनुसार किया जाता है। अतः ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैकिग स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में श्रमिक सदैव उपलब्ध हो क्योकि एक भी व्यक्ति कम होने पर कार्य की गति में बाधा आती है व उत्पादन प्रभावित होता है तथा कम संख्या में कर्मकार होने से निर्धारित प्रकिया एवं निर्धारित विधि के अनुरूप कार्य को सुचारू रूप से नही चलाया जा सकता है। सम्पूर्ण पैकिंग कार्य कितनी शिफटों में होना है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पैक्ड दूध की मांग कितनी है।

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

10. ठेकेदार को प्रतिमशीन से क्षमता अनुसार दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग प्रति घण्टे की एवरेज से पैक करना होगा यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त निर्धारित मात्रा के अनुपात में प्रति शिफट दूध पैकिग नही कराया गया तो उस पर शास्ति आरोपित की जा सकती है। ठेकेदार कुछ श्रमिको को घन्टो के हिसाब से भी रख सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पैक्ड दूध की मांग कितनी है ।

11. ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य बिन्दुओ के अनुरूप श्रमिक नही लगाने की सूरत में यदि संघ को श्रमिक लगाने पडे तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी व शास्ति आरोपित करने के साथ साथ ठेका समाप्त भी किया जा सकता है।

12. लीकेज थैलिया जो भी पैकिग के समय पाई जावेगी उन्हे पृथक किया जाकर एक टैक में दूध निकालकर संघ द्वारा बताये गये स्थान पर इकटठा करके रखना होगा इस कार्य को निरन्तर किया जाना आवश्यक है। लीकेज़ थैलियों का प्रतिशत डिस्पेच डोक पर 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

13. संघ निर्देशानुसार प्रतिदिन मिल्क पैकिंग का कार्य प्रारम्भ होने से एक घण्टे पूर्व आकर प्रिपैक सम्बन्धित पाईप लाईन व प्रिपैक कार्य–स्थल की सम्पूर्ण सफाई करनी होगी। इसी प्रकार कार्य पूर्ण हो जाने पर संघ निर्देशानुसार पाईप लाईन प्रिपैक एवं सम्पूर्ण कार्य–स्थल की सफाई एवं सी.आई.पी. सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने होंगे।

14. दूध, छाछ, दही व लस्सी पैकिंग स्टेशन, मशीनो, कोल्ड स्टोर, दूध की लाईनो व सम्बन्धित उपकरण, टैंक आदि की सफाई/सी0आई0पी0 सफाई/सी0आईपी/नियमित रूप से निर्धारित विधि एवं मापदण्डो के अनुरूप कराये जाने के जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

15. किसी यात्रिंक व्यवधान के कारण यदि कार्य को मैन्युली कराना पडता है एंव अतिरिक्त श्रमिको की आवश्यकता होती है तो वह ठेकेदार को तुरन्त व्यवस्था करनी होगी जिसके लिये ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा ।

16. कुछ श्रमिक प्रतिदिन सामान्य पारी में सफाई का कार्य तथा स्टोर से पोलीथीन तथा अन्य सामान लाने हेतु अलग से लगाने होगे ।

17. वर्तमान मे दूध पैकिंग मशीनों के कुल 18 मशीन हैड कार्य में लगाई हुई है जिनको बढ़ाया भी जा सकता है। भविष्य मे हाई स्पीड मशीनों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। उसी अनुरूप श्रमिक लगाने होगें।

18. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य रूप से दिखाई देने व महसूस हो सकने वाले कम/ज्यादा वजन की थैलिया/कप/मटके कोल्ड स्टोर में नही पहुचे इसके लिये ठेकेदार को थैलिया भरने वाले पैकिग श्रमिको को निरन्तर कार्य लगाने से उनके अनुभव से सम्भव हो सकेगा तथा यह भी सुनिशचित करना होगा कि प्रति व्यक्ति मशीन की क्षमता अनुसार थैलिया प्रतिमिनिट की गति से क्रेट में भरे। यह भी तभी सम्भव होगा जबकि नियमित श्रमिक इस कार्य हेतु रहे। यदि मशीन की क्षमता अनुसारथैली प्रतिव्यक्ति प्रतिमिनिट की गति से क्रेट में नही भरी गई व अत्याधिक कम या ज्यादा वजन की थैलिया कोल्ड स्टोर के अन्दर पाई गई तो इसके लिये ठेकेदार जिम्मेवार होगा व उसके उपर शास्ति आरोपित की जा सकेगी ।

19. पैकिग में रही किसी भी त्रुटि/विलम्ब के कारण यदि संस्था को किसी कानूनी कार्यवाही के तहत हानि होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जावेगी ।

20. तीन अनुभवी ऑपरेटर प्रत्येक शिफ्ट मे प्रतिदिन कार्य पर लगाने होगें जो साइलो/ओएचटी(साइलो से ओएचटी में दूध डालना) से दूध, दूध से छाछ एवं लस्सी तैयार(नमक, जीरा भुनना/पीसना, चीनी मिलाना इत्यादि) करने के लिये एक ऑपरेटर, दही पैकिंग मशीन/होमोजीनाईज/पीएचई प्लांट चलाने के लिये अनुभवी ऑपरेटर एवं उक्त उत्पादो को मशीनो तक पहुचाने फलिसिंग करने, सीआईपी इत्यादि कार्य पूर्ण करने के लिये जिम्मेदार होगें।

21. एक शिक्षित कर्मी प्रतिदिन कार्य पर लगाना होगा जो चैन पर लगे कांटे पर प्रत्येक केरेट से पाउच/कप के वजन की जांच करेगा व सही वजन के उत्पाद ही इन्क्युबेशन/कोन्ड स्टोर में जाने देगा।

22. लीकेज अथवा सही वजन नही पाये जाने के कारण बाजार में ना भेजे जा सकने वाले दही कप एंव मटको को पुनः खाली करवाकर, साफ करवाकर फिर से काम में लेना होगा।

23. प्रत्येक शिफ्ट में प्रतिदिन एक अनुभवी सुपरवाईजर रखना होगा जो श्रमिको का नियंत्रण करेगा व विपणन शाखा की डिमाण्ड अनुसार पैक करवाना व गेटपास के अनुसार डिस्पैच करवाने का कार्य करेगें। प्रभारी संयंत्र के निर्देशा अनुसार दैनिक कार्य सम्पांदिन करेगें। एक श्रमिक प्रतिदिन पूर्णतया साफ–सफाई व हाईजिन बनाये रखने हेतु लगाना होगा। इस हेतु ठेकेदार को अपने प्रतिनिधियो की सूची लिखित में संघ प्रबन्धन को देनी होगी। जिस शिफट में ठेकेदार या उसका नामित प्रतिनिधि/प्रशिक्षित कर्मकार उपलब्ध नही होगा तो ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी ।

24. ठेकेदार को डिस्पैच के दौरान लीकेज क्रेटो की छंटाई शीघ्रअतिशीघ कर उसी गाड़ी में डिस्पैच कराना होगा। इस हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमिको की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा शास्ति लगाई जा सकती है।

25. ठेकेदार को डेयरी संयत्र पर क्रेट वाशिंग का कार्य कराना होगा। वर्तमान में संघ के पास क्रेट वाशर है। इस क्रेट वाशर की कार्यक्षमता अनुसार क्रेट वाशिंग का कार्य पूर्ण करवाना होगा।

26. इस ठेके के अन्तर्गत क्रेटों को डॉक के विभिन्न स्थानों से क्रेट वाशर तक पहुॅचाना, चैन पर उल्टा रखना, क्रेट वाशर से निकली धुली हुई क्रेट को सीधा करना, जब क्रेट पैकिंग सैक्शन में पहुॅचती है तब उन्हें सूखे कपडे से पोछना तथा गन्दी

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

क्रेटों (अगर सैक्शन में आ जाये तो) को वापिस क्रेट वाशर पर पुनः साफ करने हेतु पहुँचाना, इस कार्य के अंतर्गत आता हैं इस कार्य हेतु ठेकेदार को उचित संख्या में श्रमिक कार्य में लगाने होगें।

27. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि खाली क्रेटे कोल्ड स्टोर में नहीं पहुंचे।

28. ठेकेदार को क्रेट वाशर में डिटरजेन्ट/कैमीकल डालकर व उसकी स्ट्रेन्थ चैक कराके कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा प्रत्येक 8 घण्टे के बाद क्रेट वाशर का टैक व नोजल ठेकेदार को साफ करवाना होगा तथा कार्य समाप्ति पर क्रेट वाशर की सफाई करानी होगी तथा ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्य स्थल सदैव साफ रहे।

29. क्रेट वाशर के अन्दर यांत्रिक खराबी हो जाने व जो क्रेटे क्रेट वाशर से ठीक प्रकार से साफ नहीं होती उन क्रेटो की धुलाई का कार्य श्रमिकों से हाथों द्वारा कराया जाना होगा व उन्हें एकत्रित कर प्रीपैक मशीन पर पहुँचना होगा इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों में यदि सामान्य से अधिक अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो वह ठेकेदार द्वारा लगाने होगे इन अतिरिक्त श्रमिकों का पृथक से संघ द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।

30. धुली हुई क्रेटस का किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व क्रेट गन्दी पाये जाने या मशीन पर गर्म क्रेट में दूध पैक करते पाये जाने पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त गन्दी क्रेट पाये जाने के कारण मार्केट से शिकायत प्राप्त होने पर उचित शास्ति लगायी जा सकेगी। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सूरत में धूले हुए क्रेटस जो पैकिंग हेतु पहुचे वो गन्दी नहीं हो। यदि कोई क्रेट गन्दा रह जावे तो ठेकेदार को उन्हें पुनः साफ कर पैकिंग हेतु देना होगा।

31. मिल्क फिल्म/कप/मटको की रिकवरी आरसीडीएफ व संघ द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार होनी चाहिए अगर यह रिकवरी किन्ही कारणो से निर्धारित मापदण्डो से कम आती है तो संघ को होने वाले नुकसान की 50 प्रतिशत की वसुली ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

32. पैकिंग के समय धुली हुई साफ क्रेटस पैकिंग क्षमता के अनुरूप निरन्तर उपलब्ध होना आवश्यक हैं, इसलिये यह कार्य समय समय पर ठेकेदार को अवगत कराये अनुसार कराना होगा। कार्य दिन रात या निरन्तर 24 घण्टे भी आवश्यकतानुसार चलाया जा सकता है। क्रेट गर्म न रहे एवं टुटी हुई क्रेट में दूध पैक ना हो सुनिश्चित करें अन्यथा शास्ति आरोपित की जावेगी ।

33. कार्य स्थल से टूटी हुई क्रेटस की गणना कर सामान्य स्टोर में स्थित ब्रोकन क्रेटस यार्ड में पहुँचाने का कार्य तथा सामान्य स्टोर से नई क्रेटस तथा डिटजैन्ट लाकर क्रेट वाशिंग स्थल पर लाने का कार्य ठेकेदार को करवाना होगा।

34. क्रेट वाशर के विभिन्न सैक्शन का तापकम तथा डिटरजेन्ट की मात्रा आई0एस0ओ0 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप रखने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

35. कार्य समाप्ति के बाद पैकिंग विभाग में लगी चैन कनवेयर तथा नीचे लगा ट्रे पर चिपकी गन्दगी को प्रतिदिन साफ करना होगा। गन्दी क्रेटस से निकली पोलीथिन व अन्य सामग्री ठेकेदार को संघ द्वारा निर्धारित अलग-अलग स्थानों पर ही डालनी होगी। पोलीथिन स्क्रेप संघ संयंत्र में इधर उधर बिखरा मिलने पर शास्ति लगायी जा सकती है।

36. उक्त समस्त शर्तें, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबन्ध का हिस्सा रहेगा व अनुबन्ध की शर्तो के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तें ठेकेदार पर लागू रहेंगी।

मैंने उपरोक्त शर्तें पढ व समझ ली है। मैं उपरोक्त शर्तो का पालन करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता.................................
व पूर्ण पता ....

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

Annuxre –I

–: शपथ – पत्र :–
(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित)

अण्डर टैकिंग/शपथ पत्र

मैं ———————————— पुत्र श्री ——————————— उम्र ——— वर्ष, निवासी ——————————— तहसील ——————— जिला ——————————— (राज0) का हूँ, मैं शपथ पूर्वक यह अधिकार पत्र देता हूँ कि :–

1– यह है कि मैं श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ से प्राप्त ठेकों के निमित्त/सम्बन्धित किसी भी प्रकार के एरियर राशि/शास्ति है । राशि अथवा अन्य कोई देनदारी क्षतिपूर्ति (कम्पनशेसन) निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त भुगतान करना पड़ता है तो संघ द्वारा उक्त राशि मांगने पर तुरन्त जमा करा दूंगा।

2– यह है कि संघ को मैं यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि का भुगतान मेरी संघ में जमा प्रतिभूति राशि से जब्त कर प्राप्त कर सकते हैं।

3– यह है कि संघ को यह अधिकार देता हूँ कि पैरा एक में वर्णित राशि की वसूली मेरी चल–अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण/बेचान कर सकती है। उक्त प्रक्रिया में मेरे वारिशान की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी।

मैं ———————————— पुत्र श्री ——————————— उम्र करीब ——— वर्ष, निवासी ————————————(राज0) यह शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त पैरा एक से तीन में वर्णित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य हैं तथा मैं अपने होश–हवास में अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करें।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता ———————————
नाम निविदादाता ———————————
पता ———————————
———————————
———————————

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)

Annuxre –II

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित)

काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) व अनुबन्ध निरस्त नहीं होने हेतु प्रोफार्मा

शपथ–पत्र

मैं निविदादाता .... सुपुत्र श्री .... उम्र .... निवासी .... यह शपथपूर्वक सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि मैं/हमारी कम्पनी, केन्द्र/राज्य सरकार या किसी भी संस्थान/समिति द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में नहीं किया गया हूँ/नहीं की गयी तथा मेरे/कम्पनी के द्वारा संघ अथवा राजकीय कार्यालय में कार्य संतोषपूर्ण किया गया है, सिक्योरिटी राशि जब्त नहीं हुई है एवं अनुबन्ध निरस्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संघ मेरी निविदा निरस्त/अस्वीकृत करने में स्वतन्त्र होगा। इस हेतु मेरी तरफ से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

(Signed & sealed by the tenderer
in token of acceptance of above)